रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2090]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937
No. 2090]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2640(अ).—केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 13 फरवरी, 2015 के आदेश सं. का.आ. 527(अ) द्वारा, उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में निदेश दिया था कि वे आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि वर्ष 2014-15 अर्थात 30 जून, 2015 तक के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक की जाएंगी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने 25 जून, 2015 के आदेश सं. का.आ.1676(अ) के माध्यम से 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार, उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए कर दिया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि अर्थात 31 दिसम्बर, 2015 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 फरवरी, 2015 के आदेश सं. **का**.आ. 527(**अ**) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और 23 जून, 2015 के आदेश सं. **का**.आ.1676(**अ**) के माध्यम से इसका पिछली बार विस्तार किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2640(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by order number S.O. 527(E), dated the 13th February, 2015, that the commodities specified in column (2) of the Schedule to that Order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, for the year 2014-2015, i.e., upto 30th June, 2015;

And whereas the Central Government extended the validity of the said order *vide* order number S.O. 1676(E), dated the 23rd June, 2015, for a period of three months from the date of the expiry of the said order, that is, upto 30th September, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid order, expiring on 30th September, 2015, shall be extended for a further period of three months i.e. upto 31st December, 2015 from the date of expiry of the said order or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Note:- The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 527(E), dated the 13th February, 2015 and last amended *vide* number S.O. 1676(E), dated the 23rd June, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.